



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233698
CG-DL-E-23022022-233698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 806]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

No. 806]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

का.आ. 835(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (ग) और नियम 10 के उप-नियम (2) के साथ पठित अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा श्रीमती मीरा स्वरूप को प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के तकनीकी सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ (67) वर्ष की आयु होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/3/2019-आरई]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

S.O. 835(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and clause (ii) of section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with clause (c) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 10 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, the Central Government hereby appoints Smt. Meera Swarup as Technical Member of the Securities Appellate Tribunal for a period of four years with effect from the date of assumption of charge or till she attains the age of sixty-seven years, or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 3/3/2019-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.